



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-राजगढ़

क्र. 2234-PK-16

रूपवती बाई पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद
निवासी- ग्राम अमलार तहसील तलेन
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1- हरिशंकर पुत्र श्री देवीलाल
- 2- चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री नर्वदा प्रसाद
निवासीगण- ग्राम अमलार तहसील तलेन
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3243-I/2012 निगरानी में पारित
आदेश दिनांक 02.07.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की
धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

(Handwritten signature)

दिनांक 5/7/16
5-7-16

डा. नारायण
कै. प्र. (प. 5)



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2234-पीबीआर/2016

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

[उपवती/सिद्धांत]

जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पाठकारी एवं अभिलेखी
जारी के हस्ताक्षर

06-10-16

आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3243-एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 2-7-2016 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-

1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के फ़र्चात् भी नहीं मिल पाई थी।

2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हों।

अध्यक्ष